

सं. 41034/1/2014-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30. 01. 2014

कार्यालय जापन


विषय :-महिला सरकारी कर्मचारियों की स्थिति, सेवा शर्तों, शोषण के विसर्जन सुरक्षा, प्रोत्साहन तथा अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विभाग से संबद्ध कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 62वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई।

अधोहस्ताक्षरी को विभाग से संबद्ध कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 62वीं रिपोर्ट के पेरा 20.1 तथा 20.2 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें समिति ने सरकार का ध्यान विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से कानूनी तौर पर अलग हुई महिलाओं जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ था, को कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कल्याण के माध्यम से भरी गई रिक्तियों पर समूह 'ग' और पूर्व के समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति में 35 वर्ष तक आयु (अजा/अजजा के सदस्यों के लिए 40 वर्ष) तक की छूट प्रदान करने के वर्तमान अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों के सतर्कता से अनुपालन के निदेश दिए हैं।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.1980 के का.जा. संख्या-15012/13/79-स्था(घ) में व्यवस्था है कि कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' के भरे गए पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ संबंधित भर्ती नियमों के उपर्योग द्वारा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, के मामले में आयु सीमा में 35 वर्ष (अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष तक) तक छूट दी जाएगी बशर्ते कि तलाक, अथवा न्यायाधीन अलगाव जैसा भी मामला हो, के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.09.1983 के का.जा.सं.15012/1/82-स्था(घ) के माध्यम से उपलब्ध)। इसके अलावा कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.10.1990 के का.जा.सं.15012/1/87-स्था(घ) के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की गई भर्ती को छोड़कर समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के लिए यह छूट प्रदान की गई है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।


(अरुणोदय गोस्वामी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23040339

भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग।

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक तथा महातेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग।
12. स्थापना (घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (10 प्रतियां)
13. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।


(अरुणोदय गोस्वामी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23040339